न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 27 / 2008

उनवान

समदू खॉ पुत्र करामत खां जाति मुसलमान (सुन्नी) निवासी ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर

..... अपीलान्ट .....

बनाम

1. कल्लू खॉ पुत्र करामत खॉ माता चान्द बीबी बेवा करामत खॉ
2. श्रीमति सुल्तान खातून पुत्री करामत खॉ पत्नि जल्दारक्खा
3. भूरे खां वल्द करामत खॉ फौत जरिये कायम मुकाम :–

3 / 1 भूर खॉ

3 / 2 मुमताज खॉ

3 / 3 रशीद खॉ

3 / 4 शराफत खॉ

सभी जाति मुसलमान (सुन्नी) निवासी ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर

4. राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गगवाना जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 246 दिनांक 4.11.2003

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक :– 14.11.2019

अपील कें सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट के पिता करामत खॉ रहे है जिनकी जाइन्दा औलाद है तथा जिनके प्रार्थी अपीलांट समदू खां के अलावा कल्लू खॉ भूरे खॉ हबीदा खातून व सुल्तान खातून तीन पु.त्र व दो पुत्रीया रही है तथा करामत खॉ की मृत्यु दिनांक 28.2.87 को हो जाने से उपरोक्त सभी करामत खॉ की जाइन्दा औलाद उसके विधिक वारीसान है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 246 जो कि दिनांक 20.10.2003 को फौती विरासत के रूप में करामत खॉ पुत्र अशरफ खॉ की मृत्यु पर उसके जाइन्दा वारीसान के नाम तस्दीक किये जाने हेतु भरा गया जिसमें जानबूझ कर प्रार्थी अपीलांट का नाम कॉलम संख्या नौ में मृतक करामत खॉ के वारीसान में शामिल नही किया गया और दिनांक 20.10.2003 को स्वीकार कर लिया गया जिस पर प्रार्थी अपीलांट ने जरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2003 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का गगवाना ने कॉलम नम्बर तेरह चौदह पर पुनःश्चय में जॉव रिपोर्ट में करामत खॉ मृतक के तीन पुत्र होना अंकित किया और पुनः जांच नोट लगाया गया कि प्रार्थी अपीलांट समदा खॉ का किसी अन्य के गोद जाने का दस्तावेज किसी ने प्रस्तुत नही किया है जिससे समदा खॉ का नाम विरासत से दर्ज करने हेतु पंचायत बैठक में पुनविचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे जिस पर पुनः विचार किया जाकर प्रार्थी अपीलांट को मृतक करामत खॉ का पुत्र नही माना और बिना किसी विधिक आधार के पूर्व में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 246 पर पारित आदेश दिनांक 20.10.2003 को बहाल रखने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलांट समदू खॉ को सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा ना ही उसे अपनी प्रतिरक्षा में तथा अपने कथनो की पुष्टि में साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश करने का ही कोई अवसर प्रदान किया और अपीलाधीन आदेश बिना विधिक जॉच किये पारित कर त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिल आदि दस्तावेजात में वल्दीयत करामत खॉ होने की पुष्टि में प्रस्तुत किये जिन्हे ना मानने का कोई कारण बताये बिना ही त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में जिन दस्तावेजात को जिस प्रकार से विवेचन किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जो राशन कार्ड व बेचान तहरीर का हवाला अपीलाधीन आदेश में दिया है वह ग्रहय योग्य साक्ष्य नही है तथा दो राशन कार्ड एक ही व्यक्ति के अलग अलग वल्दीयत के हाने पर वास्तविकता की जॉच की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना चाहिये था जिसके विपरित त्रुटिपूण्र आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपीलांट के असल पिता करामत खॉ ही है जिसके खण्डन में किसी भी प्रकार का

Scanned by CamScanner

शपथ पत्र अथवा दस्तावेज रेकार्ड पर नही है और भू–अभिलेख निरीक्षक एवं ग पटवारी ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रार्थी अपीलांट को करामत खॉ का इन्दा पुत्र होना अंकित किया है और अन्य किसी के गोद जाने का कोई तावेज नही होना अंकित किया है इसके उपरांत भी बिना किसी विधिक आधार त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य । प्रार्थी अपीलांट को उसके द्वारा प्रस्तुत पुनविचार हेतु नजरसानी प्रार्थना पत्र पर पीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान नही केया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थी अपीलांट को नही हो सके और जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत है तथा जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब से माफी के लिये अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र के प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण के कॉलम संख्या नौ में दर्ज व्यक्तियों में से श्रीमति चान्द बीबी की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारीसान प्रार्थी अपीलांट व अप्रार्थीगण रेस्पोडेट संख्या एक से तीन व उसके कायम मुकाम है जो पक्षकार है। फोती विरसत नामान्तकरण में बाध्यकारी विधिक प्रावधानो के अनुसार मृतक के जाइन्दा सभी पुत्रो व पुत्रियो को उसके वारीसान के रूप में उसके स्थान पर तस्दीक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना चाहिये जिसके विपरित त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर विधिक भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्याहित में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश 4.11.2003 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 246 में पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.10.2003 को निरस्त फरमाया जाकर करामत खॉ मृतक के वारीसान में अपीलांट समदू खॉ को पुत्र स्वीकार करते हुए फोती विरासत नामान्तकरण नियमानुसार स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख जमाबंदी आदे में अंकन किये जाने के समुचित आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री धन्श्याम सिह लखावत उपस्थित आये।

रेस्पोडेन्ट के अधिवकता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को नामांतरकरण आदेश दिनांक 4.11.2003 नामान्तकरण संख्या 246 की जानकारी उक्त आदेश पारित करने की दिनांक से सदैव रही है तथा इसके पश्चात नामांतरकण स्वीकार किये जाने की जानकारी भी अपीलार्थी को रही है साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी समदू खां ने एक राजस्व वाद वर्ष वर्ष 2004 में अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा का प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वयं समदू खां ने वाद कारण 4.11.2003 को उत्पन्न होना अंकित किया तथा उक्त वाद जवाब वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करते हुए जवाबदावे की चरण संख्या 4 में रूप से विरसत स्वयं के नाम अंकित होने का कथन किया तथा करामतखां की विरासत बाबत पारित नामांतरकरण का नोट वर्किंग जमाबंदी में अंकित किया जा चुका होने

Scanned by CamScanner

कथन भी किया गया वर्तमान अपील समदूखां ने वर्ष 2008 में प्रस्तुत की है
कई वर्षो पूर्व समदू खां को अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी हो चुकी
इस प्रकार वर्तमान अपील विधि द्वारा प्रावधित समयावधि जो 30 दिन है जिसकी
जानकारी अपीलार्थी को पहले से रही है इसके बावजूद भी 6 वर्ष से भी अधिक
अवधि बाद अपील प्रस्तुत कि गई को विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किये जाने योग्य नही हो से मयाद प्रार्थना पत्र निरस्त कर तदनुसार अपील
अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य प्रकट हुए कि प्रमाणित नामान्तकरण संख्या 246 दिनांक 4.11.2003 के अपीलान्ट समदू खॉ के परिवार का कार्ड संख्या 5768 विरासत नामान्तकरण संख्या में समदू पुत्र हुसैन दर्ज होना उल्लेखित किया है साथ ही रेस्पोडेन्ट 1 के हक में स्वयं अपीलान्ट द्वारा नोटेरी से प्रमाणित विक्रय पत्र 4.11.2003 भी स्वयं को हुसैन खा का पुत्र होना स्वीकार किया है इस प्रकार प्रकरण में मुख्य विवाद विधिक वारिस होने सबंधी निहीत करता है जिसको निणित किये जाने का क्षैत्राधिकार विधि के तहत राज्स न्यायालय में निहीत नही रखता है साथ ही विधिक वारिस होने के सबंध में नामानतकरण समरी कार्यवाही से निर्णित किया जाना सम्भव नही है तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब के तहत विवादित भूमि के सबंध में 2004 में नियमित वाद भी विचाराधीन होना प्रमाणित है जो नियमित वाद स्वयं अपीलान्ट द्वारा 2004 में प्रस्तुत किया गया है ताकि अपीलाट द्वारा यह भी 24.10.2008 को इस न्यायालय के समक्ष 4 वर्षो की अवधि पश्चात विधिवत जानकारी उपरान्त प्रस्तुत की गई है जिसको देरी का कोई सदभावित कारण उल्लेख नही किया गया है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर मयाद बहार होने से निरस्त की जाती है । तदनुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.19 16:16:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: